

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग
अधिसूचना

संख्या 1आ0प्र0यो0-13/2010.....⁸²³/आ0प्र0

पटना-15, दिनांक-^{3/3/14}

बिहार के राज्यपाल भारत संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली 2011" में लिखित संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ (1) यह नियमावली "शताब्दी अन्न कलश योजना (संशोधन) नियमावली 2014" कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
2. "शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली 2011" के नियम 6 के उप नियम (6) एवं (7) में प्रयुक्त शब्द " मुखिया" शब्द "मुखिया या सरपंच या पंच या संबंधित वार्ड सदस्य" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना

सं0-1/आ0प्र0यो0-13/2010.....⁸²²/आ0प्र0

अधिसूचना संख्या-⁸²³ दिनांक-^{3/3/14}

का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँगरेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(व्यास जी)

सरकार के प्रधान सचिव

Government of Bihar
Disaster Management Department
NOTIFICATION

Notification No. : 1Aa.Pra.Yo-13/2010⁸²³/D.M

dated-^{3/3/14}

In exercise of the powers conferred by Article 39(b) of the Constitution of India. The Governor of Bihar is pleased to make the following rules to amend The "Shatabdi Anna Kalash Yojana Rules, 2011"

1. **Short title, extent and Commencement** (1) These Rules may be called the "Shatabdi Anna Kalash Yojana Rules, 2014".
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

- (3) It shall come into force with immediate effect.
2. The word "Mukhiya" used in the sub rule (6) and (7) of Rule 6 of The "Shatabdi Anna Kalash Yojana Rules, 2011" shall be substituted by the words "Mukhiya or Sarpanch or Panch or related Ward Member".

By the Orders of the Governor of Bihar



(Vyas Ji)

Principal Secretary
Disaster Management Department